बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एचओ/बीआर/112/117

दिनांकः 19.03.2020

भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परिपत्र

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग,
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

<u>सब/ फाइलः पीईआरएस 10</u>

महोदय/ महोदया,

विषयः दिनांक 01.03.02020 से 30.04.2020 की अवधि के लिए अवकाश गृह संबंधी पेनल्टी का रिवर्सल.

अवकाश गृह की बुकिंग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि बुकिंग / आरक्षण को कनफर्म बुकिंग की तारीख से 15 दिन से कम समय में रद्द किया जाता है तो लागू किराये का -03- गुना दंड लगाने का और यदि कर्मचारी कनफर्म बुकिंग को निरस्त नहीं करता या हॉलिडे होम में नहीं जाता है तो लागू किराए का -06- गुना दंड लगाने का प्रावधान है.

सरकार द्वारा जारी COVID - 19 और विभिन्न यात्रा संबन्धित निर्देशों के अनुसार, यह स्वाभाविक है कि कई कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी जिन्होंने पहले अवकाश गृह बुक किए थे, अब उनकी बुकिंग रद्द कर रहे हैं. चूंकि ये रद्दीकरण COVID - 19 के कारण हैं, इसलिए 01.03.02020 से 30.04.2020 की अवधि के लिए अवकाश गृह बुकिंग को रद्द करने पर कोई जुर्माना नहीं वसूलने का निर्णय लिया गया है. उपरोक्त अवधि के लिए अवकाश गृह बुकिंग रद्द करने के लिए पहले से ही कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों से ली गई पेनल्टी को भी कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा किया जाएगा.

कृपया इस परिपत्र को पूर्व-कर्मचारियों तथा शाखा/ कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और इस परिपत्र की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें.

भवदीय,

जयदीप दत्ता राय

जयदीप दत्ता राय
प्रमुख (नीतिपरक मासं. एवं मासं. एकीकरण)

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, वड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Scanned with CamScanner